19.09.2023

पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से, प्रार्थी अब इस निगरानी प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल मिसल किया गया, जिस पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर इस निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर,सिरोही

Scanned with CamScanner